

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रेषित,

मुख्य अभियन्ता(बेतवों),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, झांसी।

पत्रांक: 682 /अनिम-8/यू०-6/ए-7 अनापत्ति

लखनऊ : दिनांक : 15-9-2022

विषय: नमामि गंगे योजना के तहत पटौरा डांडा समूह में जलापूर्ति हेतु नहरों के विभिन्न चैनलों पर सप्लाई पाइप लाइन क्रॉस करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 3615/मु०अ०प०बे०/पेयजल/दिनांक 12.05.2022 एवं पत्रांक: 6706/मु०अ०प०बे०/पेयजल/दिनांक 18.08.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा के पत्रांक: 4448/सिनिमम/पी-1, पेयजल/दिनांक 02.08.2022 एवं अधिशासी अभियन्ता, मौदहा बांध निर्माण खण्ड हमीरपुर के पत्रांक: 1213/मौबानिखह/एन०अ०सी०/पत्योरा डांडा/दिनांक 29.07.2022 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र०, जल निगम (ग्रामीण), महोबा के पत्रांक: 759/डब्ल्यू-37/98/दिनांक 25.07.2022 द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत पटौरा डांडा समूह में जलापूर्ति हेतु नहरों के निम्नलिखित विभिन्न चैनलों पर सप्लाई पाइप लाइन क्रॉस करने हेतु निम्न स्थानों पर पाइप लाइन क्रॉसिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित प्रकरण संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

क्र०सं०	Canal Name	Chainage (km)	Diameter (mm)
1.	Sumerpur Branch	10.500	400
2.	Sumerpur Branch	13.000	200
3.	Sumerpur Branch	18.000	250
4.	Mawaijar Minor	2.000	450
5.	Mawaijar Minor	3.000	300

यह परियोजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। अतः प्रकरण की महत्ता तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए आपके के पत्रांक: 3615/मु०अ०प०बे०/पेयजल/दिनांक 12.05.2022 एवं पत्रांक: 6706/मु०अ०प०बे०/पेयजल/दिनांक 18.08.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर नमामि गंगे योजना के तहत नहरों के विभिन्न चैनलों पर सप्लाई पाइप लाइन क्रॉस करने के अन्तर्गत Sumerpur Branch (10.500 km), Sumerpur Branch (13.000km), Sumerpur Branch (18.000km), Mawaijar Minor (2.000km) एवं Mawaijar Minor (3.000km) पर सप्लाई पाइप लाइन क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है।

- अनापत्ति निर्गत करने से पूर्व प्रस्तावित सभी क्रॉसिंग स्थलों का स्पष्ट Layout Plan (जिसमें नहरों का नाम व चैनल को दर्शाया गया हो) पर कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर नाम, पदनाम, दिनांक एवं मुहर सहित स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित किया जाये, जिस पर सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उनके नाम, पदनाम, दिनांक व मुहर सहित स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को लिखित रूप में एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित करते हुए विभागीय अधिकारियों की देख-रेख में ही प्रस्तावित कार्य के Layout तथा निर्माण कार्य का निष्पादन कराया जाए। साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा संरचना की अनुमोदित ड्राइंगों/कार्ययोजना/अनुबन्ध की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
- पाइप लाइन को नहरों के Bed level अथवा Scouring की स्थिति में Maximum Scour level, जो दोनों में Lowest हो, उससे कम से कम 2.5 मीटर और नीचे डाला जाये।
- अल्पिका श्रेणी के नहरों में विशेष परिस्थितियों में ही Open Cut के माध्यम से पाइपलाइन डाली जाये। अल्पिका श्रेणी से ऊपर की नहरों में उनकी सुरक्षा एवं संचालन को दृष्टिगत रखते हुए उन पर पाइपलाइन को Trenchless Method i.e. Horizontal Directional Drilling Method से ही डाला जाये। पाइप लाइन Laying से सम्बन्धित उचित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- अल्पिका श्रेणी के नहरों में जहाँ पर पाइपलाइन को Open Cut के माध्यम से डाला जा रहा है, उन स्थानों पर पाइपलाइन क्रॉसिंग के स्थान से अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम में नहर के बैंको की सुरक्षा के दृष्टिगत सुदृढ़ीकरण का कार्य आवश्यक लम्बाई में क्षेत्रीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये एवं कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर उक्त कार्य कराया जाये। साथ ही समय-समय पर आवश्यक होने पर उक्त स्थानों पर मरम्मत का कार्य भी कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जायेगा।
- सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की भूमि पर निर्माण के उपरान्त भूमि का स्वामित्व सिंचाई विभाग का ही होगा तथा भूमि का उपयोग कार्यदायी संस्था द्वारा मात्र उक्त कार्यों के संचालन के उद्देश्य की परिसीमा तक ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- पाइप लाइन के इनलेट एवं आउटलेट को सिंचाई विभाग की भूमि के बाहर रखा जाये। नहरों पर पूर्वनिर्मित संरचनाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पाइप लाइन को संरचनाओं के अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम से पर्याप्त दूरी पर इस प्रकार से बिछाया जाये जिससे कि नहरों पर बनी संरचनाओं को किसी प्रकार की क्षति न हो।
- पाइप लाइन Laying का कार्य इस प्रकार से किया जाये, जिससे पाइप में लीकेज की समस्या उत्पन्न न हो। यदि भविष्य में पाइप लाइन में कहीं पानी आदि का लीकेज होता है तो उसे कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर मरम्मत का कार्य कराकर लीकेज इत्यादि को बन्द करना होगा।

Engr. Anurag
Executive Engineer
(Civil/Grill)
U.P. Jal Nagam (Rural), Mahoba

8. पाइप लाइन निर्माण के कार्य के दौरान नहरों के सतत बहाव तथा संचालन को अवरुद्ध न किया जाए और न ही डायवर्ट किया जाए तथा प्रस्तावित पाइप लाइन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नहरों में कोई मलबा/अवरोध न छोड़ा जाये। नहरों के आन्तरिक सेक्शन तथा नहरी भूमि से कोई मिट्टी न ली जाये।
9. नहरों के मूल स्वरूप तथा पैरामीटर्स में कोई बदलाव न किया जाये तथा प्रस्तावित कार्य से नहरों के आन्तरिक/वाह्य सेक्शन, बैंको, नहर की सड़क/पटरी, डौला तथा नहरों पर पूर्वनिर्मित एवं निर्माणाधीन संरचनाओं को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचायी जाये। यदि प्रस्तावित कार्य से किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी मरम्मत सिंचाई विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कार्यदायी संस्था को स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
10. पाइप लाइन नहरों को जिस स्थान पर पारगमित कर रही हो, उन्हीं स्थानों पर नहरों के दोनों ओर इस आशय का प्रदर्शन पट्टिका सर्वसाधारण की जानकारी हेतु लगायी जाये, जिस पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के नाम व मोबाइल नम्बर अंकित हो। कार्यदायी संस्था द्वारा पाइप लाइन Laying के समय आवागमन बाधित न हो। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा पाइप लाइन कार्य के अतिरिक्त कोई भी स्थाई कार्य न कराया जायें। निर्माण आदि से होने वाले जल संक्रमण/प्रदूषण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उसका त्वरित निवारण भी कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
11. कार्य निर्माण के समय जनसुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त सुरक्षा उपाय, कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं किये जायेंगे तथा किसी भी अप्रिय स्थिति/दुर्घटना, फसलों के नुकसान अथवा पर्यावरणीय क्षति हेतु किया गया क्लेम कार्यदायी संस्था द्वारा वहन करना होगा। इसमें सिंचाई विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
12. सिंचाई विभाग द्वारा यदि भविष्य में नहरों पर, किसी भी प्रकार की संरचना का निर्माण कार्य, नहरों की क्षमतावर्धन तथा संरचनाओं का चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित किया जाता है और इस हेतु पाइप लाइन तथा तत्सम्बन्धी संरचनाओं को हटाये जाने की आवश्यकता परिलक्षित होती है तो कार्यदायी संस्था अथवा अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संस्था/विभाग द्वारा स्वयं के व्यय भार पर पाइप लाइन तथा तत्सम्बन्धी संरचना को स्थल से हटाकर अन्यत्र सिंचाई विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।
13. प्रस्तावित पाइप लाइन के निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उक्त निर्माण कार्य हेतु कोई भी धनराशि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० द्वारा नहीं दी जायेगी। प्रस्तावित कार्य पर व्यय से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कोई भी क्लेम सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मान्य नहीं होगा।
14. वित्तीय नियमों, प्रचलित शासनादेशों एवं अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. यह अनापत्ति पाइप लाइन डालने की मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति है। उक्त पाइप लाइन की तकनीकी साध्यता के लिए कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। इसमें सिंचाई विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। साथ ही उक्त निर्माण कार्य पर प्रदान की गयी अनुमति अन्तरणीय नहीं होगी।
16. कार्यदायी संस्था द्वारा प्राकृतिक सम्पदा, भूमि, जलवायु, वन, जल, वायु, वन्य जीव, वनस्पति, पर्यावरण, पारस्थितिकी आदि सम्बन्धी अधिनियम/शासकीय आदेशों/निर्देशों/मा० उच्च न्यायालय/मा० सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों तथा सुसंगत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा यथा आवश्यक समस्त अनापत्ति/क्लीयरेंस/सहमति स्वयं संबंधित विभाग/संस्था से प्राप्त करनी होगी। यद्यपि पारगमन स्थल के समीप अन्य विभाग की कोई संरचना विद्यमान हो, तथापि सुरक्षा के दृष्टिगत में कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित विभाग यथा लोक निर्माण विभाग/ग्राम पंचायत आदि से आवश्यक समस्त अनापत्ति/क्लीयरेंस (Clearance)/सहमति स्वयं प्राप्त की जायेगी।
17. कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों के विचलन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इससे उत्पन्न किसी भी विषम परिस्थिति/जटिलता के लिये कार्यदायी संस्था स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगी।

अतः प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन एवं सहमति प्रदान करने के उपरान्त मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके पत्रांक: 3615/मु०अ०प०बे०/पेयजल/दिनांक 12.05.2022 एवं पत्रांक: 6706/मु०अ०प०बे०/पेयजल/दिनांक 18.08.2022 द्वारा प्रेषित आख्या एवं शासनादेश संख्या 1687/19-27-सि०-4-50(डब्ल्यू)2019/दिनांक 22.05.2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार वॉछित अनुमति/अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त शर्तों के अधीन *नमामि गंगे योजना के तहत नहरों के विभिन्न चैनलों पर सप्लाई पाइप लाइन क्रास करने के अन्तर्गत Sumerpur Branch (10.500 km), Sumerpur Branch (13.000km), Sumerpur Branch (18.000km), Mawaijar Minor (2.000km) एवं Mawaijar Minor, (3.000km) पर सप्लाई पाइप लाइन क्रासिंग हेतु* अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से कार्यदायी संस्था (अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड (सिविल) उ०प्र०, जल निगम (ग्रामीण), महोबा) को निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गोपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)

पत्रांक: /अनिमं-8/यू०-6/ ए-7 अनापत्ति/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (दक्षिण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, झोंसी।

(गोपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)

Er. 
Ex. Engineer
(Civil Engineering)
U.P. Jal Nigam (Rural), Mahoba

प्रभागीय वन अधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग
हमीरपुर

21/5-22

5/7/22

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, हमीरपुर

पत्रांक:- 288 / ज०प्र०/प्रारूपकार/दिनांक-27/06/22

विषय:- नमामि गंगे योजना के तहत नहरों के विभिन्न चैनल पर राप्लाई पाईप लाइन कास करने हेतु एनओसी के संबंध में।

अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड (सिविल) उ०प्र० जल निगम (रूरल) महोबा।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (नलकूप-दक्षिण) सि० एवं जल संसाधन वि० उ०प्र० कानपुर के पत्रांक 1218/दिनांक 04.06.2022 द्वारा पत्थौरा पम्प नहर एवं छानी पम्प नहर की जल वितरण प्रणाली से उक्त योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन कास करने हेतु एन.ओ.सी. की फोटो कापी संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- 01 अदद।

Signature

अधिशाषी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड हमीरपुर

पत्रांक:- / तादिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे जनपद हमीरपुर।

संलग्न:- 1 अदद

2. सहायक अभियन्ता द्वितीय लघु डाल नहर खण्ड हमीरपुर को उक्त एन.ओ.सी. की फोटोप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता उक्त कार्य को अपनी देख-रेख में कराये।

स-1344

AE (Civil) Mahoba

PM (PMC) Hamirpur

Signature

Signature

For Engineer
U.P. Jal Nigam (Rural), Mahoba

अधिशाषी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड हमीरपुर

प्रमाणित

प्रभागीय वन अधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग
हमीरपुर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
नलकूप (दक्षिण)
सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, कानपुर

1673
21/06/2022

पत्रांक: 1210/मु0अभि0न0द0/पेयजल

कानपुर, दिनांक: 04/जून/2022

विषय:- नमामि गंगे योजना के तहत नहरों के विभिन्न चैनोज पर सप्लाई पाइप लाइन क्रॉस करने हेतु
एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल बांदा।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बांदा ने अपने पत्रांक:- 1145/सिनिमम/पी-1/पेयजल, दिनांक-06.05.2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, हमीरपुर ने जनपद हमीरपुर में विभिन्न चैनोज पर सप्लाई पाइप लाइन क्रॉस करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (सिविल), उ० प्र० जल निगम (रूरल) महोबा द्वारा अपने पत्रांक:- 144/डब्ल्यू-37, दिनांक-04.03.2022 द्वारा ग्राम पत्यौरा डांडा समूह में जलपूर्ति हेतु सप्लाई पाइप लाइन पत्यौरा पम्प नहर के पत्यौरा मुख्य नहर डी०टैंक से रीच 1.00 किमी० (Trenchless Method), पत्यौरा माइनर रीच 0.00 किमी० (Trench and Reinstatement) सुरौली रजवाहा रीच 0.00 किमी० (Trenchless Method) तथा छानी पम्प नहर के भैसमरी रजवाहा सिसोलर मार्ग के दांये तरफ, (Open cut and Reinstatement) भैसमरी माइनर सिसोरल मार्ग दांये तरफ (Open cut and reinstatement) पर सप्लाई पाइप लाइन क्रॉस करने हेतु एन०ओ०सी० की वांछना की गई है।

उक्त के जन में पाइप लाइन क्रॉस करने की स्वीकृति एवं अनापत्ति (N.O.C.) निम्न प्रावधानों के तहत देनी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदान की जाती है।

1. सप्लाई पाइप लाइन क्रॉस करने के लिए इस विभाग की भूमि पर निर्माण के उपरान्त भूमि का स्वामित्व सिचाई विभाग का ही होगा।

2. सप्लाई पाइप लाइन बिछाने हेतु ट्रेंच लेस विधि का प्रयोग किया जाए एवं जल नहर के विभिन्न माइक्रो-सेक्शनों के अनुसार सुरक्षात्मक कार्य कराए जाए, भविष्य में नहर सप्लाई पाइप क्रॉस करने वाली जगह की नहर की रीच में किसी भी प्रकार की क्षति न हो सके। होने पर उ० प्र० जल निगम द्वारा गरममत कार्य (मंतीपजनक) कराया जाएगा।

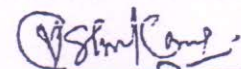
3. कार्य करने के पूर्व प्रस्तावित कार्य करने के पूर्व प्रस्तावित कार्य का डाइंग तथा ले-आउट सिसोलाई विभाग के समकक्ष/सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराये जाए तथा विभागीय अधिकारियों की देख-रेख में निर्माण कार्य का निष्पादन किया जाए।

4. कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कोई मलबा कार्य स्तर पर न लाया जाये। कार्य करते समय सम्बन्धित नहर की पररी एवं तली से गिट्टी/बालू आदि की निकाली न की जाए तथा निर्माण के समय नहर का प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए।

Ex. Engineer
Const. Div. (Civil)
U.P. Jal Nagam (Rural), Mahoba

प्रमाणित
04
प्रभागीय वन अधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग
हमीरपुर

5. कार्य स्थल पर सुरक्षा के सभी माध्यम अपनाये जाए एवं साइन बोर्ड अवश्य लगवाए एवं किसी अप्रिय स्थिति/दुर्घटना होने पर उसकी वलोग का वहन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाए।
6. वर्तमान निर्धारित नहर का रोवशन में कोई भी परिवर्तन न किया जाए, साथ ही नहर की सुरक्षा के दृष्टिगत 01 मीटर सी0सी0 लाइनिंग की गरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य कराते हुए साइट के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम नहर रोवशन में स्टोन पिचिंग करायी जाए।
7. नहर के मूल पैरामीटर यथा बेड विड्थ, वॉटर डेप्थ तथा स्लोव इत्यादि में कोई बदलाव न किया जाए, जिससे नहर संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा प्राकृतिक सम्पदा, भूमि, जलवायु, वन, वन्य जीव, वनस्पति, पर्यावरण परिस्थितिकी की इत्यादि सम्बन्धी अधिनियम/शासकीय आदेशों / निर्देशों, मा0 सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों तथा सुसंगत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों के विचलन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी तथा इससे उत्पन्न किसी भी विषम परिस्थिति/जटिलता के लिए कार्यदायी संस्था स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगी।


मुख्य अभियन्ता

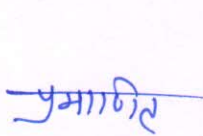
नलकूप (दक्षिण) कानपुर



क्रांक:- /म0अभि0न0द0/तदिनांक:-

तिलिपि:-

- 1- अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल, बांदा को उनके प0 सं0- 1145/नमंबां/दिनांक- 06.05.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2- अधिशाषी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त वर्णित बिन्दुओं की शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्य को कार्यदायी संस्था द्वारा सम्पादित कराया जाए एवं समय-समय पर वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।


Executive Engineer
Const. Div. (Civil)
U.P. Jal Nagam (Rural), Mahoba

प्रभागीय वन अधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग
हमीरपुर

मुख्य अभियन्ता
नलकूप (दक्षिण) कानपुर